

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.19390/2024/137

दिनांक : 08/02/2024

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनकी परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके सम्मुख अंकित तिथि से रु. 20800 (लेवल-5) में उनका वेतन नियतन करते हुये एतद् द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थाई किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता RSCIT प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि	टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1.	श्री रोहित सखुजा, कनिष्ठ सहायक	अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) जोधपुर।	04.05.2021	04.09.2023	04.09.2023	लागू नहीं।
2.	श्रीमती प्रियंका, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, अलवर।	04.10.2021	04.10.2023	लागू नहीं।	लागू नहीं।
3.	श्री विशाल जोशी, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रतापगढ।	07.10.2020	07.10.2022	05.05.2018	31.03.2021

- नोट:-** 1- क.स. 1 पर अंकित श्री रोहित सखुजा जिनकी परिवीक्षा अवधि दिनांक 03.05.2021 को पूर्ण करली है किन्तु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(1)कार्मिक/क-2/2013 जयपुर दिनांक 04.05.2017 के अनुसरण में आरएससीआईटी कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने की दिनांक 04.09.2023 से वेतन नियतन किया जाता है व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 02.01.2017 के अनुसरण में निःशक्त को कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा से मुक्त रखा गया है।
- 2- क.स. 2 पर अंकित श्रीमती प्रियंका को कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.(51)कार्मिक/क-2/88 पार्ट दिनांक 13.05.2011 एवं 02.01.2017 के अनुसरण में कर्मचारी को टंकण एवं कम्प्यूटर अर्हता परीक्षा से मुक्त रखा गया है।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राज. जयपुर

दिनांक : 08/02/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.19390/2024/137

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
- अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.) जोधपुर।
- चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अकबरपुर, अलवर/प्रतापगढ अलवर।
- प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- संबंधित कार्मिको को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी 1418
- आदेश/रक्षित पत्रावली।

RaiKai Ref

Document certified by SURESH
NAWAL <add4ng@gmail.com>
निदेशक (अराजपत्रित)
Digitally Signed by Suresh
Kumar Naval
Designation: Director
Date :03-02-2024 09:57:43